

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- ४१५ T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश
का
क०सं०एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश प
की गई
कार्रवाई
बारे में

जमाबंदीदार श्री / श्रीमती पिता / पति इडिया मुहुरा

मौजा थाना—अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या—

..... में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं० ०२ / ०२-०३ के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के १००९ के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रक्का
<u>उभराला/लौंग</u>	<u>२८३</u>	<u>२१</u>	<u>४९८</u>	<u>०.०३</u> एकड़ी

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- ०६/०८/२०२० को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
अड़की।

6/8/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/ संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल—कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण— 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये हैं।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/ दखल—कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती.....

संकलन गुप्ता

पिता/पति हर्षिणी मुहूर्णा मौजा— ४५२८/ल०/अ० थाना—अड़की,
जिला—खूंटी के नाम से मौजा— ३४२८/ल०/अ० थाना नं. 283 खाता सं. 21
प्लॉट सं. 498 रकबा— ००३ टिक्का लगान ०.१० रुपये अलावे

शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा— ३४२८/ल०/अ० थाना नं. 283 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या— पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,
अड़की।